

उत्तराखण्ड शासन

ग्राम्य विकास विभाग

संख्या: /XI/14/53(08)11

देहरादून: दिनांक: 26 फरवरी, 2014

कार्यालय आदेश

ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय आदेश संख्या-3609 /XI/13/53(08)11 दिनांक-03 सितम्बर, 2013 के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वितीय चरण हेतु Intensive Block के रूप में 03 जनपदों के 05 विकास खण्डों को एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कमांक	जनपद	विकास खण्ड
1.	पौड़ी	थलीसैण, कल्जीखाल
2.	ऊधमसिंहनगर	खटीमा, सितारगंज
3.	पिथौरागढ़	धारचूला

(विनोद फोनिया)  
सचिव।

संख्या- 458 /XI/14/53 (08)11 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल।
7. आयुक्त, ग्राम्य विकास पौड़ी।
8. जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, पौड़ी ऊधमसिंहनगर एवं पिथौरागढ़।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन।
10. समस्त सदस्य, शासी निकाय।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जे0एल0शर्मा)

उप सचिव।